न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भुसावर (भरतपुर)

पीठासीन अधिकारी :— सचिन यादव (आर.ए.एस.)
प्रकरण सख्या: 43/22 दायर दिनांक: 04.10.2022
जीसीएमएस नं. 2022/301

शिवराम पुत्र श्री मीठीलाल जाति मीना नि. माईदपुर, तह. भुसावर जिला भरतपुर राज.
—प्रार्थी

बनाम

राज. सरकार जरिये तहसीलदार, भुसावर जिला भरतपुर राज.
—अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136
राज. भू—राजस्व अधिनियम 1956
अधिवक्ता— 1.श्री हेमसिंह पाण्डेय —प्रार्थी
2.पैरोकार सरकार —अप्रार्थी

निर्णय दिनांक 12.07.2024

प्रार्थी द्वारा जरिये वकील प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.ए. के तहत पेश किया गया। जिसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आ.ख.नं. 19 रकबा 13.51, 20 रकबा 6.85, हैक्टे. किता 02 कुल रकबा 20.36 हैक्टे. वाके ग्राम माईदपुर तह. भुसावर जिला भरतपुर में स्थित है। जिसमें प्रार्थी 3/16 हिस्सा का खातेदार काश्तकार एवं काबिज आराजी है तथा इसी प्रकार से काश्त करता चला आ रहा है।

प्रार्थना पत्र की मद नंबर 01 में वर्णित आराजीयात में खातेदार के इन्द्राज में प्रार्थी के पिता नाम हटीला राजस्व कर्मचारियों की सहवन गलती से दर्ज किया हुआ है। जबकि प्रार्थी के पिता का वास्तविक नाम मीठीलाल है। जिसके कायम रहने से प्रार्थी अपनी खातेदारी की आराजी के बाबत राज्य सरकार व केन्द्र सरकार द्वारा प्रदत्त आर्थिक सहायताओं से वचित हो रहा है एवं प्रार्थी कृषि सुधार ऋण भी बैंक से प्राप्त नहीं कर रहा है। जिससे प्रार्थी को काफी कठिनाईयों का सामना करना पड रहा है। वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी में प्रार्थी के पिता का नाम हटीला के स्थान पर मीठीलाल दर्ज कराने के लिए कई बार अप्रार्थी के भुसावर स्थित कार्यालय में गया, और अपने पिता के नाम को दुरूस्त कर शुद्ध अंकन कराने का निवेदन किया जा चुका है। लेकिन अप्रार्थी व उसके अधीनस्थ कर्मचारियों द्वारा हमेशा प्रार्थी से टालमटोल ही करते रहे है। जबकि प्रार्थी के सभी दस्तावेजों में जैसे राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड आदि भी मीठीलाल ही दर्ज होता चला आ रहा है और शिवराम पुत्र हटीला नाम का प्रार्थी के अलावा अन्य कोई व्यक्ति ग्राम माईदपुर तह. भुसावर में निवास नहीं करता है। इस प्रकार प्रार्थी अपने पिता मीठीलाल का नाम वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में हटीला के स्थान पर दुरूस्त कर अंकन करा पाने का अधिकारी है।

प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया है कि उपरोक्त वर्णित आराजीयात में प्रार्थी के पिता का नाम हटीला के स्थान पर मीठीलाल किया जावें।

हमने प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी की तलवी जरिये रजिस्टर्ड डाक द्वारा की गई। नोटिस की ताईद में तहसीलदार, भुसावर द्वारा जॉंच रिपोर्ट पेश की गई।

हमने तहसीलदार, भुसावर की रिपोर्ट एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजी रिकॉर्ड जैसे नकल जमाबन्दी, आधार कार्ड, पहचान पत्र, राशन कार्ड आदि का भली—भाँति अध्ययन किया गया। उक्त के आधार पर हम प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाना उचित समझते है।

उपखण्ड अधिकारी
भुसावर (भरतपुर)